(d) if so, the number of cases which have so far been handed by the vigilance machinery considering the numerous complaints received from both the industries and the subscribers against working of the Employees' Provident Funds Act?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): (a) The power to extend the Employees' Provident Funds Act, 1952 to industries/establishments vests in the Central Government. After taking into oonsideration the date from which an establishment has been set up and has completed the infancy period, the Regional Provident Fund Commissioners can determine its date of coverage under the Act.

(b) The scales of pay of the Regional Provident Fund Commissioners are as follows:—

(i) Grade I—Rs. 1100-50-1400.

(ii) Grade II—Rs. 900-40-1100-50/2-1250.

(iii) Grade III—Rs. 700-40-1100-50/2-1150.

(iv) Grade IV—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.

The above scales have been laid down after taking into consideration the nature and volume of work involved in each Regional Office.

(c) and (d). The Central Provident Fund Organisation has a Vigilance Officer. Moreover, in the case of a difficulty or doubt as regards coverage of an establishment, the Central Government can be approached under Section 19A of the E.P.F. Act, 1952, to give a direction for removal of the doubt or difficulty and directions were issued by the Central Government in over 100 cases during the years 1966 and 1967. The cases are referred to the Vigilance machinery only if disciplinary proceedings are likely to be involved. There have been no such cases.

157 (Ai) LS—5.

Buffer stock of Foodgrains in States

6376. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to build up buffer stocks in States also; and

(b) if so, the names of such States and the outline thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). The intention is that the buffer stock in the country should be held partly by the Centre and partly by the States. Individual statewise targets of buffer stock holding have not been laid down.

बिहार में सहकारी समितियां

6377. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-कांग्रेसी सरकार के शासन काल में बिहार में विभिन्न प्रकार की कितनी सहकारी समितियां बनाई गई ;

(ख) क्या इन समितियों का शीघ्र विकास करने के लिए राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग). 'सहकारिता' राज्य सूची में शामिल विषय है और उनसे संबंधित मामले राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न में पूछी गई बातों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है.

और न ही विशेष प्रोत्साहनों के लिए राज्य सरकार से कोई प्रार्थना ही प्राप्त हुई है।

बिहार में शिक्षित बेकार व्यक्ति

6378. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में शिक्षित तथा अशिक्षित बेकार व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना बेकार व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है अथवा घटी और कितनी बढ़ी है अथवा घटी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बेकारी की समस्या हल करने की दृष्टि से राज्य सरकार को सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) और (ख). इस बारे में उपलब्ध जानकारी, बिहार के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नियुक्ति सहायता के लिए नाम दर्ज कराने वालों की संख्या ही है, जिसका उल्लेख विवरण में किया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—758/68].

(ग) और (घ). आशा है बिहार में राज्यकीय और केन्द्रीय योजनाओं के आधीन, उद्योग, सिंचाई, बिजली, यातायात व संचार तथा शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, राज्य में बढ़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होंगे। नियोजन अवसरों के विस्तार के प्रश्न को, अप्रैल, 1969 से आरम्भ होने वाली राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय भी ध्यान में रखा जाएगा।

पक्षियों का अध्ययन

6379. **श्री महाराज सिंह भारती**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों के लिए लाभकारी तथा हानिकारक पक्षियों का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में हानिकारक पक्षियों से फसलों को बचाने के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इन्टोमौलौजी प्रभाग में कृषि के ओनिथौलौजी व अन्य किस्म के कीटों के विषय में एक नया अनुभाग खोलने की एक योजना तैयार की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) कृषि व बागबानी की फसलों को पहुंचाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में सघन जांच शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे पक्षियों पर काबू पाने के तरीकों का अध्ययन भी किया जायेगा।